# अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

## पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 38/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील )

1. उमेद खान पुत्र श्री रमजान खान जाति मुसलमान निवासी मकान नम्बर 20 बी, संजय नगर बी, नूरानी मस्जिद के पास, झोटवाडा, जयपुर ।
2. श्रीमती सईदन बानो पत्नी श्री उमेद खान जाति मुसलमान निवासी मकान नम्बर 20 बी, संजय नगर बी, नूरानी मस्जिद के पास, झोटवाडा, जयपुर ।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. लतीफ खान पुत्र श्री उमेद खान जाति मुसलमान निवासी एफ.सी.ए. 2542, गली नम्बर 8, ब्लॉक –बी, एस. जी. एम. नगर, फरीदाबाद, हरियाणा ।
2. श्रीमती आयशा पत्नी श्री लतीफ खान जाति मुसलमान निवासी एफ.सी.ए. 2542, गली नम्बर 8, ब्लॉक–बी, एस.जी. एम.नगर, फरीदाबाद, हरियाणा ।
3. हनीफ खान पुत्र श्री उमद खान जाति मुसलमान हाल निवासी 24/93, स्वर्णपथ मानसरोवर, जयपुर ।
4. श्रीमती सना पत्नी श्री हनीफ खान जाति मुसलमान हाल निवासी 24/93, स्वर्णपथ मानसरोवर, जयपुर ।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 28.06.2023. माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण के प्रकरण संख्या 26/2023 ब उनवानी उमेद खान बनाम लतीफ खान ।

उपस्थितः–

1. अपीलार्थी संख्या 1 व 2 के प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थीगण के प्रतिनिधि उपस्थित है।

आदेश दिनांक 09.07.2024

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण के प्रकरण संख्या 26/2023 ब उनवानी उमेद खान बनाम लतीफ खान व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.06.2023 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 क प्रतिनिधि उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, को पारित करने में विधायिका का यह आशय था कि जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का उसकी उम्र की किसी भी अवस्था में सम्मान पूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। वैसे ही अपने सम्पूर्ण जीवन में अपने कर्तव्यों का निर्वाह कराने के साथ साथ अपने बच्चों के प्रति अपने समस्त फर्ज अदा करने के बाद जब कोई माता पिता अपनी वृद्धावस्था में पहुंचते है तो उनकी संतानों का यह दायित्व है कि वह अपने माता पिता का ससम्मान भरण पोषण करे अर्थात वृद्ध व्यक्तियों का भी ससम्मान जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा उपरोक्त समस्त तथ्यो को दरकिनार करते हुये फौरी तोर पर आलौच्य आदेश दिनांक 28.06.2023 पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। मामला हाजा में प्रत्यर्थीग/विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र का फौरी तौर पर जबाब देते हुये स्वयं को अलग रहना बताया है तथा अपीलार्थीगण/प्रत्यर्थीगण को भरण पोषण के अनुतोष का विरोध करते हए अन्य अनुतोष संबंधित नही होने का कथन करते हुए किसी प्रकार का जबाब नही दिया है। प्रत्यर्थीगण / विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने जबाब में अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण की वृद्धावस्था के कारण उनके बीमार रहने, लकवे का अटैक आने के तथ्य स्वीकार किये है। वर्तमान में भी अपीलार्थी / प्रार्थी संख्या 2 श्रीमती सईदन बानों का लम्बे समय से आखों का ईलाज चल रहा है जिसके दस्तावेज अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अपीलार्थी/प्रार्थी संख्या 1 भारतीय सेना से रिटायर्ड सैनिक है जिसने जीवन भर पूर्ण मनोयोग से देश की सेवा की, परन्तु उम्र की इस अवस्था में वह अपने बच्चों के द्वारा दी जा रही प्रताड़ना से आहत है। अधीनस्थ अधिकरण ने बिना गौर किये आलौच्य आदेश दिनांक 28.06.2023 पारित किया जो अपास्त किये जाने योग्य है अतः अपील स्वीकार फरमाई जा कर अधीनस्थ अधिकरण का आदेश दिनांक 28.06.2023 अपासत फरमाया जावे व अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण के स्वामित्व के मकान में बने दोनों खाली पड़े हुये कमरों पर से प्रत्यर्थीगण/विपक्षी संख्या 2 व 3 का ताला हटाया जावे ताकि उक्त दोनों खाली कमरों को किराये पर चढा कर अपीलार्थीगण अपना भरण पोषण कर सके ।

प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के प्रतिनिधि ने अपील के तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अपीलार्थीगण का प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 से किसी प्रकार की शिकायत नही है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 वर्तमान में एफ सी ए 2541 गली नम्बर 8, ब्लॉक=बी, एस.जी.एम.नगर, फरीदाबाद हरियाणा रहते है उनकी बराबर सेवा सुश्रषा की जाती है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्व अपीलार्थीगण को किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया है। अतः प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की हद तक अपील खारिज फरमाई जावे।

प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि जुलाई 2001 में प्रार्थीगण की पुत्री परवीन बानो व दामाद ने अपने बच्चे आर्यन खान को जयपुर इन्टरनेशनल कालेज झोटवाडा में प्रेप कक्षा में एडमीशन करवा दिया और छोटे से बच्चे की परवरिश की सारी जिम्मेदारी अप्रार्थी संख्या 3 व उसकी पत्नी सना खान पर थोप दी और स्वयं बच्चे को छोड कर बीकानेर चले गये । उक्त बच्चा जयपुर में कथा 4 तक पढा और इस दौरान उक्त बच्चे की पढाई, होमवर्क, देख रेख व परवरिश पढाई व खाने पीने का खर्चा अप्रार्थी संख्या 3 व उसकी

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

पत्नी सना ने उठाया इसके बावजूद प्रार्थगण व उनकी पुत्री परवीन बानों व दामाद ने बच्चे की परवरिश व पढाई को ले कर अप्रार्थी संख्या 3 उसकी पत्नी सना खान को ताने मारते रहते व जयपुर आकर अप्रार्थी संख्या 6 उसकी पत्नी सना खान को बच्चे के बहाने से तरह तरह से मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते रहते है। अपीलार्थीगण की अपील खारिज फरमाई जावे एवं अपीलार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वे प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 एवं उसके बच्चों के साथ मारपीट गाली गलौच व दुर्व्यवहार ना करे ओर ना ही शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करे। अपीलार्थीगण के साथ–साथ अपीलार्थीगण की पुत्री परवीन बानो व दामाद मोहम्मद शरीफ को भी पाबन्द किया जावे कि वे अप्रार्थी संख्या 6 के घर में अनुचित हस्तक्षेप ना करे व अप्रार्थी संख्या 6 का घर में आवागमन बन्द करे।

उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 से परेशान होकर यह अपील प्रस्तुत कर अपीलार्थी संख्या एक के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नम्बर 20 बी, संजय नगर बी, नूरानी मस्जिद के पास, झोटवाडा जयपुर से प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 द्वारा लगाये गये तालों को हटा कर बेदखल किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत बने नियमों में माता–पिता के जीवन एवं उसकी सम्पत्ति की रक्षा के लिए प्रावधान दिये गये है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 की धारा 20 (5) इस प्रकार है–" किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन या सम्पत्ति के किसी खतरे की दशा में जिला मजिस्ट्रेट या सम्यकरूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करने का कर्तव्य होगा। " माता–पिता एवं वरिष्ठ नगरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत माता–पिता या वरिष्ठ नागरिक की मांग पर पुत्र व पुत्रवधु को मकान से बेदखल करने का आदेश दिया जा सकता है। अन्तरण लिखित अथवा मौखिक हो सकता है। इस सम्बध में समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है। अपीलार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार किये जाने योग्य है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

अपीलार्थी संख्या एक के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नम्बर 20 बी, संजय नगर बी, नूरानी मस्जिद के पास, झोटवाडा जयपुर से प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 द्वारा ताला लगा कर किये गये कब्जे से बेदखल किये जाने का आदेश अधीनस्थ अधिकरण को दिया जाता है।

0. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

आदेश आज दिनांक 09.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

( प्रकाश राजपुरोहित )
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner